रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247819
CG-DL-E-03082023-247819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3320] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
No. 3320] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सं. 23 / 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 84 के एचएसएन 8471 के तहत वस्तुओं की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3471(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 84 के तहत निम्नलिखित संशोधन करती हैः

1. अध्याय 84 की नीतिगत शर्त संख्या 04 निम्नानुसार शामिल की गई है;

   i. एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल–इन–वन पर्सनल कम्प्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात 'प्रतिबंधित' होगा और उनके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी।

   ii. उक्त प्रतिबंध समय–समय पर यथा संशोधित असबाब नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।

   iii. 1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल–इन–वन पर्सनल कम्प्यूटर, या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है, जिसमें डाक या कूरियर के माध्यम से ई–कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए ऐसे कंप्यूटर भी शामिल हैं। आयात, यथा लागू शुल्क के भुगतान के अध्यधीन होगा।

   iv. अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, मानदंड और मूल्यांकन, मरम्मत और पुनः निर्यात, उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की गई है। उक्त आयात की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा।

इसके अलावा, वांछित उद्देश्य के बाद, उपयोग उपरांत बचे हुए उत्पादों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा।

v. विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं के पुनः आयात के संबंध में एफटीपी के पैरा 2.28 के संदर्भ में, उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. लैपटॉप, टैबलेट, ऑल–इन–वन पर्सनल कम्प्यूटर, और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कम्प्यूटर और सर्वर जो कि पूंजीगत वस्तुओं का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, उन्हें आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

2. सीटीएच 8471 के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित वस्तुओं के आयात के लिए नीति/शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

आईटीसी (एचएस)	मदों का विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत षर्त
84713010	--- पर्सनल कम्प्यूटर	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84713090	--- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84714110	--- माइक्रो कम्प्यूटर	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84714120	--- बडा अथवा मेन फ्रेम कम्प्यूटर	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84714190	--- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84714900	- अन्य स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीनें:– अन्य सिस्टम के रूप में प्रस्तुत की गई	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन
84715000	- उप शीर्ष 8471.41 या 847.49 क तहत की मदों के अलावा, प्रोसेसिंग यूनिट चाहे वे निम्नलिखित दो किस्म की इकाइयों में से एक या दो आवासन इकाइयों मे हो या नही: स्टोरेज यूनिट, इनपुट, यूनिट, आउटपुट यूनिट	मुक्त	प्रतिबंधित	अध्याय की नीतिगत शर्त संख्या 4 के अधीन

अधिसूचना का प्रभाव: एचएसएन 8471 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल–इन–वन पर्सनल कम्प्यूटर, और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से 'प्रतिबंधित' किया जाता है। प्रति खेप, सर्वर को छोड़कर ऐसी 1 वस्तु को आयात लाइसेंस से छूट दी गई है। अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, मानदंड और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी, उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की गई है। विदेशों में मरम्मत की गई ऐसी वस्तुओं के पुन; आयात के लिए भी छूट प्रदान की गई है। छूट वहां भी प्रदान की गई है जब वस्तु पूंजीगत वस्तु का एक अनिवार्य हिस्सा हो।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[फा. सं. 01/89/180/39/एएम–13/पीसी–2(ए)/ई–2261]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)`

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

No. 23/2023

Subject: Amendment in Import Policy of Items under HSN 8471 of Chapter 84 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022–reg.

S.O. 3471(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 84 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS) 2022:

1. Policy condition No. 04 of the Chapter 84 is introduced as under:

i. Import of Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, and Ultra small form factor Computers and Servers falling under HSN 8741 shall be 'Restricted' and their import would be allowed against a valid Licence for Restricted Imports.

ii. The said Restriction shall not be applicable to Imports under Baggage Rules, as amended from time to time.

iii. Exemption from Import Licencing requirements is provided for Import of 1 Laptop, Tablet, All-in-one Personal Computer, or Ultra small form factor Computer, including those purchased from e-commerce portals, through post or courier. Imports shall be subject to payment of duty as applicable.

iv. Exemption from import licence is provided for up to 20 such items per consignment for the purpose of R&D, Testing, Benchmarking and Evaluation, repair and re-export**,** Product Development purposes. Given imports shall be allowed subject to condition that the imported goods shall be used for the stated purposes only and will not be sold. Further, after the intended purpose, the products would either be destroyed beyond use or re-exported.

v. In reference to para 2.28 of the FTP regarding re-import of goods repaired abroad, licence for Restricted Imports shall not be required for repair and return of said items.

vi. Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, and Ultra small form factor Computers and Servers which are an essential part of a Capital Good shall be exempted from the import licencing requirements.

2. The policy/condition for import of the following items covered under CTH 8471 are revised as under:

ITC(HS)	Item description	Existing Policy	Revised Policy	Revised Policy Condition
84713010	--- Personal computer	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84713090	--- Other	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84714110	--- Micro computer	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84714120	--- Large or main frame computer	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84714190	--- Other	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84714900	-Other automatic data processing machines: --Other, presented in the form of systems	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter
84715000	-Processing units other than those of subheading 8471.41 or 8471.49, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of units: storage units, input units, output units	Free	Restricted	Subject to Policy condition no.4 of the Chapter

Effect of the Notification: Import of Laptops, Tablets, All-in-one Personal Computers, and Ultra small form factor Computers, Servers under HSN 8471 is 'Restricted' with immediate effect. Exemption from import licencing is given to 1 such item except Servers per consignment. Exemption from import licencing is provided up to 20 items per consignment for R&D, Testing, Benchmarking and Evaluation, Repair and return, Product Development purposes. Exemption is further provided for re-import of such items repaired abroad. Exemption is also provided where the item is an essential part of a Capital Good.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/39/AM-13/PC-2[A]/E-2261]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.03 19:34:21 +05'30'